



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1044]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939

No. 1044]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1607(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्यांक 17 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"17.		क. - बहिःस्त्राव मानक	
उर्वरक उद्योग		(i) स्ट्रेट नाइट्रोजिनस उर्वरक संयंत्र / अमोनिया (यूरिया संयंत्र), कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक	
		pH को छोड़कर संकेन्द्रण सीमा मिलिग्राम/लिटर(mg/l) से अधिक न हो	

क्र. सं.	उद्योग	मानदंड	मानक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		pH	6.5 से 8.5	
		सस्पेन्डिड ठोस पदार्थ	100	
		तेल और ग्रीस	10	
		अमोनिकल नाइट्रोजन N	50	
		कुल जेल्डाल नाइट्रोजन (TKN) N	75	
		फ्री अमोनिकल नाइट्रोजन N	2.0	
		सी एन संकेन्द्रण	0.1	
		नाइट्रोजन N	यूरिया संयंत्र	10
			यूरिया संयंत्र से अलग	20
		(ii) स्ट्रेट फॉस्फेटिक उर्वकर संयंत्र		
		pH	6.5 से 8.5	

	सस्पेन्डिड ठोस पदार्थ	100
	तेल और ग्रीस	10
	फ्लोराइड	10
	घुलित फास्फेट P	5.0
	(iii) काम्प्लेक्स फर्टिलाइजर संयंत्र या NP/NPK (N - नाइट्रोजन, P - फास्फोरस और K - पोटेशियम)	
	pH	6.5 से 8.5
	सस्पेन्डिड ठोस पदार्थ	100
	तेल और ग्रीस	10
	अमोनिकल नाइट्रोजन, N	50
	कुल जेल्डाल नाइट्रोजन (TKN) N	75
	फ्री अमोनिकल नाइट्रोजन N	4.0
	कुल जेल्डाल नाइट्रोजन (TKN) N	75

	फ्री अमोनिकल नाइट्रोजन N	4.0
	नाइट्रेट नाइट्रोजन N	20
	घुलित फोस्फेट P	5.0
	फ्लोराइड F	10
	<p>टिप्पण: (i) कूलिंग टावर में क्रोमियम साल्ट को एल्गीसाइट के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।</p> <p>(ii) वर्ष में एक बार वेनेडियम और आर्सेनिक के लिए बहिःस्राव का विश्लेषण किया जाएगा और विश्लेषण की रिपोर्ट संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रस्तुत की जाएगी।</p>	
	ख - उत्सर्जन मानक	
	(i) स्ट्रेट नाइट्रोजिनस	
	(क) अमोनिया संयंत्र - रिफार्मर	
	नाइट्रोजन के आक्साइड (NO ₂)	400 मिग्रा / प्रति Nm ³
	(ख) यूरिया संयंत्र - प्रिलिंग टावर	
	पार्टिकुलेट मैटर	1982 से पूर्व यूनिट 150 मिग्रा / Nm ³
		1982 के पश्चात यूनिट 50 किग्रा / Nm ^{3**}
	(ii) अमोनियम नाइट्रेट / कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट / NPK प्लांट	

	पार्टिकुलेट मैटर	विद्यमान संयंत्र	150 मिग्रा / Nm ³
		नया संयंत्र	100 मिग्रा / Nm ³
	अमोनियम NH ₃	विद्यमान संयंत्र	300 मिग्रा / Nm ³
		नया संयंत्र	150 मिग्रा / Nm ³
	कुल फ्लोराइड F	<10 mg/Nm ³ (केवल NPK संयंत्र)	
	(iii) फॉस्फेटिक उर्वरक संयंत्र - फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र रॉक / ग्राइंडिंग एण्ड एसीड्यूलेशन एसएसपी संयंत्र		
	पार्टिकुलेट मैटर	125 मिग्रा / Nm ³	

कुल फ्लोराइड F	20 मिग्रा / Nm ³
(iv) नाइट्रिक एसिड संयंत्र	
नाइट्रोजन के आक्साइड (NO ₂)	400 मिग्रा / Nm ³
<p>*मूल्यों की सूचना 3% O₂ पर दी जाएगी</p> <p>**0.5 किग्रा / टन उत्पाद का कुल उत्सर्जन</p> <p>टिप्पण : (i) फ्लोराइड के मापदण्ड केवल NPK संयंत्र के लिए लागू होंगे।</p> <p>(ii) अधिसूचना की तारीख या उसके बाद चालू किये गए संयंत्र को 'नया संयंत्र' माना जाएगा।</p> <p>(iii) सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइडों या फास्फोरस के आक्साइडों या तेजाब की धुंध को उत्सर्जित करने वाले चट्टे की ऊंचाई न्यूनतम 30 मीटर या सूत्र $H=14(Q)^{0.3}$ अनुसार जो भी अधिक हो, होगी जहां "H" चट्टे की ऊंचाई मीटरों में और Q टेल गैस प्लांट (एस) की 100 प्रतिशत रेटिड क्षमता पर चट्टे में से SO₂, NO_x या P₂O₅ की किग्रा / घंटा के रूप में जो अधिकतम मात्रा के बराबर उत्सर्जित होनी प्रत्याशित है और जिसका आकलन गैसों के उत्सर्जन के मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।</p> <p>(iv) जिन टेल गैस प्लांटों में एक ही स्थान पर एक से अधिक स्ट्रीम या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड के यूनिट हैं चट्टे की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए किसी विशेष एसिड के लिए सभी स्ट्रीमों या यूनिटों की सम्मिलित क्षमता को ध्यान में रख जाएगा।</p> <p>(v) ऐसे टेल गैस प्लांट जिसमें स्क्रबिंग यूनिटों के लिए गैसीय उत्सर्जन हेतु अलग से चट्टा हो, तो चट्टे की ऊंचाई मुख्य चट्टे के बराबर अथवा 30 मी. जो भी अधिक हो, होगी।</p>	

(ख) अनुसूची VI अपशिष्ट जल उत्पादन मानक भाग ख में क्रम सं. 11 के लिए उर्वरक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	उर्वरक उद्योग	नैपथा, प्राकृतिक गैस और मिश्रित फीड स्टॉक (नैपथा + प्राकृतिक गैस) आधारित (स्ट्रेट नाइट्रोजनस उर्वरक)	उत्पादित 3.0 एम ³ /टन यूरिया अथवा समतुल्य
		स्ट्रेट फॉस्फेटिक उर्वरक (सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी), किसी एसिड के विनिर्माण को अपवर्जित करते हुए	एसएसपी या टीएसपी का 0.4एम ³ /टन
		कॉम्प्लेक्स उर्वरक	नाइट्रोजनस और फोस्फेटिक उर्वरक के मानक प्राथमिक उत्पाद पर निर्भर करते हुए लागू होंगे।"

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे, अर्थात् :—

का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2014; का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015; का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016; सा.का.नि. 496(अ), तारीख 9 मई, 2016; सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 मई, 2016; सा.का.नि. 978(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2016; और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1265(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

G.S.R. 1607(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- (a) In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, for serial number 17 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
(1)	(2)	(3)	(4)
“17.	Fertilizer Industry	A .- Effluent Standards	
		(i) Straight Nitrogenous Fertilizer Plant/Ammonia (Urea Plant), Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Nitrate Fertilizers	
		Limiting concentration not to exceed in milligram/litre (mg/l), except for pH	
		pH	6.5 to 8.5
		Suspended Solids	100
		Oil and Grease	10

Sl. No. (1)	Industry (2)	Parameter (3)	Standards (4)
		Ammonical Nitrogen as N	50
		Total Kjeldhal Nitrogen (TKN) as N	75
		Free Ammonical Nitrogen as N	2.0
		CN concentration	0.1
		Nitrate Nitrogen as N	Urea Plant 10
			Other than Urea Plant 20
		(ii) Straight Phosphatic Fertilizer Plant	
		pH	6.5 to 8.5
		Suspended Solids	100
		Oil and Grease	10
		Fluoride	10
		Dissolved Phosphate as P	5.0
		(iii) Complex Fertilizer Plant and / or NP/NPK(N-Nitrogen, P-Phosphorus and K-Potassium)	
		pH	6.5 to 8.5
		Suspended Solids	100
		Oil and Grease	10
		Ammonical Nitrogen as N	50
		Total Kjeldhal Nitrogen (TKN) as N	75
		Free Ammoniacal Nitrogen as N	4.0

		Total Kjeldhal Nitrogen (TKN) as N	75
		Free Ammoniacal Nitrogen as N	4.0
		Nitrate Nitrogen as N	20
		Dissolved Phosphate as P	5.0
		Fluoride as F ⁻	10
		Note: (i) Chromium salt shall not be used in cooling tower as algacide. (ii) The effluent shall be analysed for Vanadium and Arsenic once in a year and analysis report shall be submitted to the concerned State Pollution Control Board / Pollution Control Committee.	
		B .- Emission Standards	
		(i) Straight Nitrogenous	
		(a) Ammonia Plant- Reformer	
		Oxides of Nitrogen (as NO ₂)	400 mg/Nm ³
		(b) Urea Plant – Prilling Tower	
		Particulate Matter	Pre 1982 units 150 mg/Nm ³
			Post 1982 units 50 mg/Nm ³ **
		(ii) Ammonium Nitrate/ Calcium Ammonium Nitrate/NPK plant	
		Particulate Matter	Existing Plant 150 mg/Nm ³
			New Plant 100 mg/ Nm ³
		Ammonium as NH ₃	Existing Plant 300 mg/Nm ³
			New Plant 150 mg/Nm ³
		Total Fluoride as F ⁻	<10 mg/Nm ³ (only NPK Plant)
		(iii) Phosphatic Fertilizer Plants – Phosphoric Acid Plants/ Rock grinding and Acidulation SSP Plants	
		Particulate Matter	125 mg/Nm ³
		Total Fluoride as F ⁻	20 mg/Nm ³
		(iv) Nitric Acid Plant	
		Oxides of Nitrogen (as NO ₂)	400 mg/Nm ³
		*Values to be reported at 3% O ₂ ** Total emission of 0.5 kg/ tonne of product.	
		Note: (i) Fluoride norms shall be applicable only for NPK plant. (ii) Plant commissioned on or after the date of notification, shall be treated as 'New Plant'.	

		<p>(iii) The height of the stack emitting Sulphur Dioxide, Oxides of Nitrogen or Oxides of Phosphorus or acid mist shall be a minimum of 30 metres or as per the formula $H=14 (Q)^{0.3}$, whichever is more, where “H” is the height of stack in metres and “Q” is the maximum quantity of SO₂ NO_x or P₂O₅ equivalent expected to be emitted in kg/hr through the stack at 100 per cent rated capacity of the tail gas plant(s) and calculated as per the norms of gaseous emission.</p> <p>(iv) Tail Gas plants having more than one stream or unit of Sulphuric Acid, Nitric Acid or Phosphoric Acid at one location, the combined capacity of all the streams or units for a particular acid shall be taken into consideration for determining the stack height and applicability of emission standards individually.</p> <p>(iii) Tail gas plants having separate stack for gaseous emission for the scrubbing unit, the height of this stack shall be equal to main stack or 30 metres, whichever is higher.”;</p>
--	--	---

(b) in Schedule VI, in Waste Water Generation Standards Part B, for serial number 11, Fertiliser and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
‘11	Fertiliser Industry	Naphtha, Natural Gas & Mixed Feedstock (Naphtha + Natural Gas) Based (Straight Nitrogenous Fertiliser)	3.0 m ³ /tonne of Urea or equivalent produced
		Straight Phosphatic Fertilizer (Single Super Phosphate (SSP) & Triple Super Phosphate (TSP) excluding manufacturing of any acid	0.4 m ³ /tonne of SSP or TSP
		Complex Fertilizer	Standards of nitrogenous and Phosphatic fertiliser are applicable depending on the primary product.”.

[F. No. Q-15017/13/2010-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist ‘G’

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E) dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 7th May, 2014; G.S.R. 612(E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015; S.O.4(E), dated the 1st January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January 2016; G.S.R. 281 (E), dated the 7th March, 2016; G.S.R. 496(E), dated the 9th May, 2016; G.S.R.497(E), dated the 10th May, 2016; G.S.R.978(E), dated the 10th October, 2016; dated the 28th October, 2016 ; and lastly amended *vide* notification G.S.R. 1265(E), dated the 13th October, 2017.